उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, गोड्डा

(डी०एम०एफ०टी० कोषांग)

इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest) हेतु अति अल्पकालीन सूचना

DMFT (District Mineral Foundation Trust), गोड्डा अंतर्गत प्राप्त राशि के विरूद्व प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के तहत् व्यय राशि का अंकेक्षण उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार राँची की अधिसूचना संख्या–804/एम०,दिनांक–21.03.2016 के आलोक में Chartered Accountant नियुक्त कर कराया जाना है।

अतः इच्छुक अंकेक्षकों से इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के तहत् Empaneled C.A Firm से प्रस्ताव बजटीय प्रावधान के साथ दिनांक– 10/02/2020 तक आमंत्रित किया जाता है।

आवश्यक शर्त्त एवं अर्हताएँ निम्नवत् है :-

1. इच्छुक C.A. (Chartered Accountant) Firm Comptroller Auditor General से Empanelled होना चाहिए।
2. इच्छुक C. A. Firm अपने प्रस्ताव के साथ पूर्व कार्य अनुभव, Empanellment से संबंधित कागजात, पेन (PAN) कार्ड, आवासीय एवं फर्म का पूरा पता, विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न एवं GST Registration Number की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अंकेक्षण का कार्य कार्यादेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर पूरा कर अंकेक्षण प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को समर्पित करना होगा, इसके पश्चात् प्रस्तुत विपत्र के अनुसार अंकेक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
4. अंकेक्षण कार्य के शुल्क का भुगतान ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा अनुमोदित दर के अन्तर्गत किया जाएगा।
5. चयनित अंकेक्षक को DMFT अन्तर्गत जिला स्तर एवं विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों यथा:- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गोड्डा/ भवन प्रमण्डल, गोड्डा/ लघु सिचाई प्रमण्डल, गोड्डा/ सिविल सर्जन, गोड्डा/ जिला उद्यान पदाधिकारी, गोड्डा/एन0आर0ई0पी0, गोड्डा आदि, जिनके द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, के कार्यालयों में अंकेक्षण कार्य करना होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2016–2017, 2017–2018 एवं 2018–2019 सहित अद्यतन अवधि तक अंकेक्षण का कार्य करना होगा। अंकेक्षक को Empanellment हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं DMFT प्रबंधकीय समिति, गोड्डा द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों/मापदंडों का अनुपालन कर निर्धारित समय–सीमा के अंदर अंकेक्षण का कार्य पूरा करना होगा।
7. इच्छुक C.A. Firm अपना प्रस्ताव दिनांक 10/02/2020 के अपराह्न 03 बजे तक हाथो–हाथ अथवा पंजीकृत डाक के द्वारा निम्न पते पर जमा कर सकते है।

Deputy Development Commissioner, Godda
DRDA, Godda 814133

Scanned by CamScanner

9. अंकेक्षक का चयन आवेदक से प्राप्त प्रस्तावों एवं बजटीय प्रावधानों के अनुसार चयन समिति के द्वारा दिनांक-...10/02/2020.. के अपराह्न 04:00 बजे तक किया जाएगा।
10. अंकेक्षकों के चयन हेतु उपायुक्त -सह- अध्यक्ष, DMFT, गोड्डा का निर्णय अन्तिम होगा।
11. अल्पकालीन सूचना (EOI) के शर्त्तों में परिवर्त्तन एवं बिना कारण बताये इसे रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

28/1/2020

उपायुक्त–सह– अध्यक्ष
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

ज्ञापांक 26...... / DMFT दिनांक–27/01/2020

प्रतिलिपि :- जिला जन सूचना एवं सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि राज्य स्तर के सभी अखबारों मे निविदा प्रकाशित किया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना तकनिकी पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ। साथ निर्देश दिया जाता है। कि जिले के वेवसाईड http://godda.nic.in/. पर निविदा अपलोड किया जाय।

28/1/2020

उपायुक्त–सह– अध्यक्ष
जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट,
गोड्डा।

Scanned by CamScanner